केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

469. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग हेतु अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) (क) से (ग) राजभाषा विभाग ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1976, तथा राष्ट्रपति जी के आदेश, 1960 के आधार पर सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग हेतु समय-समय पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों / संबंद्ध कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों को अनेक आदेश अनुपालन हेतु परिचालित किए हैं। इन अनुदेशों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन के अनेकानेक पहलुओं के अतिरिक्त सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं का भी वर्णन है।

(घ) और (ङ) हिन्दी में निर्धारित मात्रा में सरकारी कामकाज करने पर कर्मचारियों/अधिकारियों को मानकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय है।

दमन और दीव में भवन-निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी

470. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भवन निर्माता प्लाट और फ्लैट बुक करने के नाम पर क्रेताओं से धनराशि वसूलते हैं और उन्हें धोखा देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दमन और दीव में पुलिस को इन भवन निर्माताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) भवन निर्माताओं (बिल्डरों) द्वारा धोखा-धड़ी अथवा बेईमानी करने से संबंधित अपराधों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) दमन और दीव के प्रशासन के अनुसार, पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

471. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संगठनों को किन-किन देशों से कितना-कितना अंशदान मिला है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संगठनों द्वारा इन निधियों का दुरुपयोग किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो संबंधित संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और